कार्यालय नगर पंचायत बनबसा, जिला चम्पावत

16 सितम्बर, 2015 ई0

सार्वजनिक सूचना

पत्रांक–ज्ञाप/विविध लाइसेन्स उपविधि/2015–16–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2, सन् 1916) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा–3 की उपधारा (1) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग के अन्तर्गत सरकारी गजट उत्तराखण्ड शासन शहरी विकास अनुभाग–1 की अधिसूचना के द्वारा नवगठित नगर पंचायत, बनबसा को सृजन के उपरान्त यू0पी0 म्यूनिसिपेलिटीज एक्ट, 1916 की धारा 293, 294 के अन्तर्गत नगर पंचायत, बनबसा की सीमा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवसायों/व्यापारियों/धनार्जित कार्यों को करने वालों पर लोक सुरक्षा/सुविधा/नियन्त्रण करने के उद्देश्य से नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–298 पठित खण्ड–1 व 2 सूची 1 के उपखण्ड च, छ एवं ज (ग) (घ) के अन्तर्गत नगर पंचायत, बनबसा के प्रशासक महोदय से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यवसायों पर लाइसेन्स शुल्क लगाये जाने का निर्णय लिया गया है इसी परिपेक्ष्य में शासनादेश संख्या–2399/नौ–9–94–204 (जनरल) 90, दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 शासनादेश संख्या 1847/नौ–9–97–23ज/97, दिनांक 18 दिसम्बर, 1997 एवं शासनादेश संख्या 121/सी0एम0/नौ–9–97–23ज/97, दिनांक 18 दिसम्बर, 1997 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, बनबसा की सीमा के अन्तर्गत व्यवसाय करने वाले विभिन्न व्यवसायियों को नियत करने के उद्देश्य से संयुक्त लाइसेन्स उपविधि जिसे उक्त एक्ट की धारा–300 की उपधारा (1) के अन्तर्गत उन व्यक्तियों जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है इस सम्बन्ध में प्रशासक महोदय में लाइसेन्स दरों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है साथ ही जनसाधारण एवं प्रभावित होने वाले व्यवसायियों /व्यापारी/उद्यमियों से आपत्तियों एवं सुझावों के निस्तारण के उपरान्त विज्ञप्ति प्रकाशित कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त उपविधियाँ एवं उपनियम गजट प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे

उपविधियाँ

परिभाषा–

1– यह उपविधि नगर पंचायत बनबसा की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायियों को नियन्त्रण करने हेतु लाईसेन्सिंग एव अन्य शुल्क उपविधि वर्ष 2015–16 कहलायेगी तथा यह गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू समझी जायेगी।

(क) अधिनियम – अधिनियम का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम 1916 उत्तराखण्ड (यू0पी0) म्यूनिसिपेलिटी एक्ट 1916 अध्यादेश 2002 से है।

(ख) नगर पंचायत की सीमा से तात्पर्य – नगर पंचायत बनबसा के शासन द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र से है।

(ग) अधिशासी अधिकारी– अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बनबसा से है।

(घ) अध्यक्ष– अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत के निर्वाचित अध्यक्ष एवं प्रभारी अधिकारी/प्रशासक से है।

(ड) बोर्ड– बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की कमेटी से है।

(च) लाईसेसिंग अधिकारी– लाईसेसिंग अधिकारी का तात्पार्य नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से है।

CamScanner

2– नगर पंचायत की सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति व्यवसाय आरम्भ तभी कर सकेगा जब वह इस हेतु नगर पंचायत कार्यालय में निर्धारित शुल्क का अग्रिम भुगतान कर लाईसेन्स प्राप्त कर सकेगा।

3– इस नियम/उपनियम के अन्तर्गत लाईसेन्स की अवधि प्रति वर्ष एक अप्रैल से 31 मार्च तक एक वर्ष के लिये वैध होगी।

4– लाईसेन्स जारी करने हेतु लाईसेन्स अधिकारी अधिशासी अधिकारी होगें या उनके द्वारा अधिकृत कोई कर्मचारी होगा।

5– प्रत्येक व्यवसायी अथवा उद्यमी इन उपविधियों के अधीन नगर पंचायत बनबसा के कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्रति वर्ष फरवरी के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक लाईसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा

6– लाईसेन्स अधिकारी को लाईसेन्स निर्गत करने से पूर्व उसके विवेकानुसार व्यवसायिक दुकान का निरीक्षण करने का अधिकार होगा अथवा लाईसेन्सिंग अधिकारी द्वारा नियुक्त कर्मचारी जोकि निरीक्षक पद की श्रेणी से कम न हो द्वारा व्यवसायिक दुकान/प्रतिष्ठान की जाँच करने पर ही लाईसेन्स निर्गत करेगा

7– कोई भी ऐसा व्यक्ति जो छूत की बीमारी से पीडित हो तो स्वयं ऐसा व्यवसाय नहीं करेगा और न ही ऐसे व्यवसाय में किसी ऐसे व्यक्तिको सेवायोजित करेगा।

8– लाईसेन्सिंग अधिकारी इन उपविधियों के अधीन खान पान से सम्बन्धित व्यवसाय होटल दुकानों, हलवाईयो, सब्जी विक्रताओं की दुकानों के निरीक्षण के समय पाई जाने वाली गन्दगी के विरूद्व अथवा सडी गली फलसब्जियों में रखने व विकय करने के विरूद्व कार्यवाही करने अथवा मानव अनुपयोगी पदार्थ को नष्ट करने का अधिकार होगा।

9– प्रत्येक व्यापारी को चाहिये कि वह नगर पंचायत कार्यालय से लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगा और व्यवसाय हेतु आवश्यक शुल्क जमा कर लाईसेन्स प्राप्त कर सकेगा।

10– इन उपविधियों के अधीन खान पान से सम्बन्धित व्यवसायों, दुकानदारों, व्यक्तियों की दुकान से अगल बगल व सामने प्रवेश कक्ष के समीप दुकान का कुडा व अन्य अनुपयुक्त गन्दी वस्तुयें रखने व प्रदर्शित करने का अधिकार नही होगा, जो किसी व्यक्ति की दृष्टि से हानिकारक/जनस्वास्थ्य के विपरीत हो।

11– लाईसेन्स धारक अपने लाईसेन्स का नवीनीकरण फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक नहीं कराता है तो उसे 15 अप्रैल के पश्चात् लाईसेन्स शुल्क पर विलम्ब शुल्क देय होगा विलम्ब शुल्क निर्धारित शुल्क 10.00 रू0 प्रतिदिन की दर से लाईसेन्स हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक देय होगा।

12– कोई भी व्यक्ति लाईसेन्स धारक अपना व्यवसाय कम अथवा समाप्त करेगा तो अपना लाईसेन्स निरस्त करने हेतु रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर प्रार्थनापत्र फरवरी माह के अन्तिम सप्ताह के पूर्व प्रस्तुत करेगा जिसमें लाईसेन्सिंग अधिकारी दुकान का निरीक्षण कराकर लाईसेन्स निरस्त करेगा।

13– इस उपविधि के किसी प्राविधान के बारे में राज्य सरकार यदि सन्तुष्ट है कि उपविधि के किसी प्राविधान का दुरूपयोग किया जा रहा है अथवा कोई प्राविधान जनहित में नहीं है तो उक्त प्राविधान को परिष्कृत करने, छूट देने अथवा छुट देने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।

14– शासनादेश संख्या 2399/नौ–9–204(जनरल) 90दिनाँक 27 अक्टूबर 1994 द्वारा स्थानीय निकायों में लाईसेन्सिंग शुल्क व अन्य शुल्कों की दरों को संलग्न सूची के अनुसार नगर पंचायत बनबसा में लागू करने हेतु यह उपविधि बनाई गई है जिसमें नगर पंचायत बनबसा में लागू समस्त लाईसेन्स की मद जोडी गई है।

15– केन्द्र या राज्य सरकार या अन्य विधिनिहित संस्था के द्वारा पालिका में उल्लिखित व्यवसायों के नियन्त्रण हेतु लाईसेन्स इन उपविधियों से भिन्न होंगे।

16– नगर पंचायत बनबसा द्वारा अपनी सीमा के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसाय करने वाले दुकानदारों के स्वामियों आदि का एक रजिस्टर बनाया जायेगा उसी के आधार पर वार्षिक लाईसैन्स प्रपत्र पर जारी किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति अथवा लाईसेन्सदार निर्धारित अवधि में लाईसेन्स नहीं बनाता है तो उससे लाईसेन्स की धनराशि वसूली हेतु नगर पालिका अधिनियम 1916 के अन्तर्गत प्रदत्त प्राविधानों के तहत कानूनी कार्यवाही कर देय वसूली को वसूल करने का अधिकार नगर पंचायत बनबसा में सुरक्षित होगा।

CamScanner

17— जो शुल्क इस पालिका में नहीं हैं उनके अतिरिक्त अन्य शुल्क नगर पंचायत बनबसा की सीमा के अन्तर्गत लगने वाले मेले में अस्थाई व्यवसाय हेतु अस्थाई लाईसेन्स दिये जायेगें जिनका मूल्यांकन सूची में दिये गये व्यवसाय की दरों के आधार पर किया जायेगा और व्यवसाय सूची में नहीं हैं उनके लाईसेन्स की दरें नगर पंचायत बोर्ड द्वारा तय की जायेगी।

18— कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत बनबसा की सीमा के अन्तर्गत बोझा आदि ढोने अथवा मजदूरी के रूप में किये जा रहे पारिश्रमिक कार्य करने से पूर्व जोकि सुरक्षा की दृष्टि से अपने सत्यापन हेतु आवश्यक अभिलेख दस्तावेज प्रमाण निवास व चरित्र से सन्वन्धित प्रस्तुत करने उपरान्त उक्त कार्य नगर पंचायत में निर्धारित शुल्क जमा कर पंजीकृत करेगा उसके पश्चात् ही उक्त कार्य कर सकेगा।

19— कोई भी व्यक्ति जो पशुओं का पालन करता हो जिससे वह बोझा ढोने के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करता हो को प्रति पशु का नगर पंचायत बनबसा में निर्धारित शुल्क जमा कर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा उसके पश्चात् ही उक्त प्रकार के पशुओं से बोझा ढोने का कार्य करा सकेगा। साथ ही उक्त पशु शारीरिक रूप से स्वस्थ्य होने का प्रमाण भी देगा अन्यथा उक्त की स्थिति में पशु कुरता अधिनियम के अन्तर्गत स्वयं दोषी होगा तथा दण्ड का भागी होगा।

20— नगर पंचायत अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी कों किसी भी समय किसी भी व्यवसाय/दुकान के लाईसेन्स का परीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

दण्ड

यू0पी0 म्यूनिसिपेलिटीज एक्ट 1916 की धारा 299 (1) के अधीन इन उपरोक्त उपविधियों के किसी भी अंश का उल्लघन होने पर रू0 1,000.00 मात्र तक अर्थदण्ड किया जा सकेगा । यदि समयान्तर्गत लाईसेन्स धारक ने लाईसेन्स प्राप्त नही किया और उल्लंघन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्व होने की तिथि से प्रतिदिन 25.00 रू0 की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जायेगा।

लाईसेन्सिंग हेतु प्रस्तावित शुल्कों की दरों की तालिका एवं लाईसेन्स मदों का विवरण व दरें निम्न प्रकार प्रस्तावित हैं:—

कम सं0	मद का विवरण	निर्धारित दरें (वार्षिक)	
1	2	3	
1	होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस 10 शैया तक	1000.00	
2	होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस 11 शैया से 20 शैया तक	2000.00	
3	एक सितारा अथवा बिना स्टार 20 शैया से ऊपर	6000.00	
4	——,,—— 31 शैया से 40 शैया तक	7000.00	
5	——,,—— 41 शैया से 50 शैया तक	8000.00	
6	——,,—— 50 शैया से ऊपर	9000.00	
7	तीन सितारा होटल	9000.00	
8	पाँच सितारा होटल	12000.00	
9	रेस्टोरेन्ट(खाने का होटल)	1000.00	
	नर्सिंग होम		
1	नर्सिंग होम (20 बैड तक)	2000.00	
2	नर्सिंग होम (20 बैड से ऊपर)	रू0 50.00 प्रति बैड	
3	प्रसूति गृह (20 बैड तक)	4000.00	
4	प्रसूति गृह (20 बैड से उपर)	5000.00	
5	प्राईवेट अस्पताल	5000.00	
6	पैथोलाजी सेन्टर	1000.00	
7	एक्स रे क्लीनिक/अल्ट्रासाउन्ड	2000.00	

1	2	3	
8	डेन्टल क्लीनिक	2000.00	
9	प्राईवेट क्लीनिक	1000.00	
	परिवहन		
1	ट्रान्सपोर्ट (बिना वाहन के ऐजेन्सी)	3600.00	
2	ट्रान्सपोर्ट ऐजेन्सी वाहन सहित	7200.00	
3	आटो रिक्शा 2 सीटर	300.00	
4	आटो रिक्शा 7 सीटर टैम्पों	700.00	
5	आटो रिक्शा 4 सीटर	500.00	
6	ठेला/ठेली	100.00	
7	ट्राली	500.00	
8	मोटर गैरेज	1200.00	
9	स्कूटर, मोटर साईकिल गैरिज/रिपेयरिग शॉप	1200.00	
10	स्कूटर ऐजेन्सी दो पहिया या तीन पहिया	2500.00	
11	मोटर वाहन ऐजेन्सी सेल्स अथवा सर्विस	5000.00	
12	साईकिल की दुकान सेल्स अथवा सर्विस	500.00	
13	जे0सी0बी0 प्रति एक किराये पर चलाये जाने के उपयोग	3000.00	
14	वाहन धुलाई सेन्टर	500.00	
	पेट्रोलियम		
1	पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प थोक(आयल कम्पनी)	5000.00	
2	पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प फुटकर	3000.00	
3	जनरेटर डीजल व्यवसयिक	1200.00	
4	दुकान अन्य पेट्रोलियम पदार्थ मोबिल आयल आदि	1200.00	
	अन्य व्यवसाय		
1	आटा चक्की	500.00	
2	धुलाई गृह/लान्ड्री	350.00	
3	ड्राईक्लीनर	700.00	
4	साबुन फैक्ट्री.	1500.00	
5	आईसकीम फैक्ट्री कोल्ड ड्रिंक सोडा वाटर फैक्ट्री	1500.00	
6	कबाडी	1200.00	
7	ईट भटटा	7500.00	
8	जूता बनाने का कारखाना	2500.00	
9	लोहा व्यापारी टिम्बर, सीमेन्ट, ईट, बालू,पत्थर, मारबल, टाईल्स,सेनेटरी, हार्डवेयर फुटकर विकता	2500.00	
10	बिजली सामान विकेता	1000.00	
11	रेडीमेट/कपडा थोक विकेता	2500.00	
12	रेडीमेट/कपडा फुटकर विकेता	1000.00	
13	चाय थोक विकेता	1000.00	
14	कैटरिंग	2400.00	
15	बेकरी उद्योग व्यवसाय	2400.00	

1	2	3	
16	हेयर कटिंग सैलून	500.00	
17	ब्यूटी पार्लर	1000.00	
18	कुकिंग गैस ऐजेन्सी	1500.00	
19	टेलरिंग हाउस 5 से अधिक कर्मचारी	2000.00	
20	टेलरिंग हाउस 5 से कम कर्मचारी	700.00	
21	कोयला थोक विक्रेता	5000.00	
22	कोयला फुटकर विक्रेता	500.00	
23	मसाला / पान मसाला फैक्ट्री	5000.00	
24	पेन्ट की दुकान	1000.00	
25	ज्वेलर्स बडे 5 लाख से अधिक वार्षिक टर्नओवर	5000.00	
26	ज्वेलर्स छोटे 5 लाख से कम वार्षिक टर्नओवर	2500.00	
27	विज्ञापन ऐजेन्सी	3000.00	
28	डेयरी फार्म	1000.00	
29	भूसा थोक	1000.00	
30	भूसा फुटकर	500.00	
31	आडियों / विडियों लाईब्रेरी	500.00	
32	कैविल टी0बी0 1 से 100 कनैक्शन केविल टी0वी0 100 से 200 तक	2000.0 3000.00	
33	कैबिल कनैक्शन 200 से अधिक	5000.00	
34	आर्किटेक्ट कन्सलटेन्ट विधि चार्टट एकाउन्टेन्ट कास्ट एकाउन्टेन्ट	6000.00	
35	फाईनेन्स कम्पनी चिट फण्ड	6000.00	
36	इन्शोरेन्स कम्पनी प्रति शाखा	12000.00	
37	फाउन्डिंग इन्जीनियमरिंग इण्ड0	1200.00	
38	पशुवध कर प्रति पशु	50.00	
39	अनाज, तिलहन,चना,गुड थोक / फुटकर विक्रेता	2000.00	
40	आईस फैक्ट्री	10000.00	
41	टेन्ट हाउस	3000.00	
42	पान की दुकान	500.00	
43	चाय की दुकान	500.00	
44	जनरल स्टोर / दुकान थोक	2000.00	
45	जनरल मचेन्ट की दुकान फुटकर	1000.00	
46	किताबों की दुकान	1500.00	
47	न्यूज पेपर विक्रेता	500.00	
48	लकडी टाल की दुकान	500.00	
49	टिम्बर मचेन्ट	5000.00	
50	रेडियो, टी0वी0 मरम्मत / मैकेनिक	1000.00	
51	टी0वी0 शॉप, इलैक्ट्रानिक वस्तुऐं	2000.00	
52	कृषि उपकरण / फट्रीलाईजर शॉप	1000.00	
53	प्लास्टिक फैक्ट्री	6000.00	
54	प्लास्टिक ट्रेडर्स	1000.00	
55	मिठाई की दुकान	1500.00	
56	चाट बतासा की दुकान	300.00	
57	सब्जी / फल की दुकान	500.00	

CS CamScanner

1	2	3	
58	सब्जी/फल की आढ़त	1000.00	
59	बिल्डर्स रजिस्टर्ड	5000.00	
60	मसाले थोक विक्रेता	1000.00	
61	मसाले फुटकर विक्रेता	800.00	
62	देसी शराब की दुकान	20000.00	
63	अंग्रेजी शराब की दुकान	30000.00	
64	बियर की दुकान	6000.00	
65	भैंसा मॉस की दुकान	600.00	
66	बकरा मॉस की दुकान	600.00	
67	मुर्गा मॉस की/अण्डा विक्रेता की दुकान	600.00	
68	मछली विक्रेता	500.00	
69	फर्नीचर की दुकान शोरूम	5000.00	
70	फर्नीचर विक्रेता	2500.00	
71	कॉकरी विक्रेता	500.00	
72	चूड़ी विक्रेता	300.00	
73	बोझा ढोने वाले प्रति मजदूर	200.00	
74	बोझा ढोने वाले प्रति पशु	500.00	
75	फर्नीचर मरम्मत कर्ता कारपेन्ट मिस्त्री	1000.00	
76	स्टोर केशर मशीन	15000.00	
77	साउन्ड डीजे की दुकान	800.00	
78	बैण्ड मास्टर की दुकान	1000.00	
79	फोटो स्टूडियों/विडियों फिल्म मेकर	1000.00	
80	प्रिन्टिंग प्रेस	1000.00	
81	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	1000.00	
82	कम्प्यूटर टाईप फोटो स्टेट मशीन	500.00	
83	ग्रिल उद्योग इलैक्ट्रोनिंक बैल्डिग मशीन	1000.00	
84	रूई धुनाई मशीन	500.00	
85	लोहार	100.00	
86	पोल्ट्री फार्म/गोदाम	1000.00	
87	शटरिंग सामाग्री हाउस	1500.00	
88	ईट रेता बजरी व्यवसाय	2000.00	
89	मोबाईल टावर प्रति टावर	3000.00	
90	धर्मकॉटा	2000.00	
91	गिफ्ट सेन्टर	500.00	
92	मैरिज हाल	5000.00	
93	सरिया सीमेन्ट थोक विक्रेता	5000.00	
94	नगर क्षेत्रान्तर्गत तॉगा चलाने का कार्य(तॉगा लाईसेन्स)	800.00	
95	नगर क्षेत्रान्तर्गत तॉगा चलाने का कार्य(तॉगा चालक का लाईसेन्स)	200.00	
96	मेडिकल स्टोर	1000.00	
97	1. रिक्शा लाइसेन्स स्वयं का रिक्शा 2. रिक्शा लाईसेन्स किराये का रिक्शा 3. रिक्शा चालक का लाईसेन्स	100.00 150.00 50.00	
98	1. वाहन लाईसेन्स बडे वाहन 2. वाहन लाईसेन्स छोटे वाहन	1,000.00प्रति वर्ष 500.00प्रति वर्ष	

1	2	3	
99	उक्त सूची के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय	500.00	

ह0 (अस्पष्ट)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, बनबसा,
जनपद चम्पावत।

ह0 (अस्पष्ट)
प्रशासक / अध्यक्ष
नगर पंचायत, बनबसा,
जनपद चम्पावत।

CamScanner